2025/158

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 73/2025 वाद GCMS No. 2025/158

श्री जमनाशंकर शर्मा उर्फ जमनालाल पिता स्व. कालुराम शर्मा उर्फ कालुलाल उम्र 75 वर्ष निवासी सड़क पर, एकलिंपुरा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) 313003 आधार नम्बर 7300 2670 1187

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती जसोदा पत्नि स्व. भेरूलाल उम्र वयस्क, निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. ईश्वरलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क, निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. छोटुलाल भेरूलाल उम्र वयस्क, निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. दिनेश पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क, निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
5. रोशनलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क, निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :–**

1. श्री अजय सनाढ्य अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता विपक्षीगण

### निर्णय

दिनांक : 24.02.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा की "परिशिष्ट–ए" खाता संख्या 489 आराजी संख्या 1115, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 289 किता 8 रकबा 0.2350 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–बी" खाता संख्या 490 आराजी संख्या 1334, 1335, 1336 किता 3 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–सी" खाता संख्या 491 आराजी संख्या 1141, 1142, 1147, 1157, 214, 216 किता 6 रकबा 0.1350 हैक्टेयर "परिशिष्ट–डी" खाता संख्या 492 आराजी संख्या 290 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–ई" खाता संख्या 46 आराजी संख्या 1095, 1096 किता 2 रकबा 0.0900 हैक्टेयर "परिशिष्ट–एफ" खाता संख्या 47 आराजी संख्या 1128, 1159 किता 2 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–जी" खाता संख्या 49 आराजी संख्या 1109, 1120, 1121, 1148, 1149, 1152, 1166, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1328, 1329, 1333, 1635, 1636, 1638, 1640, 1847, 1851, 1853, 1854, 1855, 208, 213, 225, 242, 246, 247, 249, 265, 285, 307, 308, 454, 455, 458, 740 किता 39 रकबा 2.8800 हैक्टेयर "परिशिष्ट–एच" खाता संख्या 13 आराजी संख्या 1108, 1116, 1165,

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

251 किता 4 रकबा 0.2050 हैक्टेयर "परिशिष्ठ–आई" खाता संख्या 145 आराजी संख्या 1332, 215 किता 2 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी तथा विपक्षी संख्या 1 से 6 तथा अन्य सहखातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी का "परिशिष्ठ–ए" में 1/16, "परिशिष्ठ–बी" में 1/12, "परिशिष्ठ–सी" में 1/16, "परिशिष्ठ–डी" में 1/16, "परिशिष्ठ–ई" में 1/3, "परिशिष्ठ–एफ" में 1/8, "परिशिष्ठ–जी" में 17/54, "परिशिष्ठ–एच" में 1/2 तथा "परिशिष्ठ–आई" में 1/2 अविभाजित हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी के मूल पुरुष/पिता कालुराम शर्मा उर्फ कालुलाल होकर उनका स्वर्गवास सन् 1955 मे ही हो गया। जब प्रार्थी की उम्र लगभग पांच वर्ष होकर तत्समय प्रार्थी नाबालिग था। स्व. कालुराम शर्मा उर्फ कालुलाल जी का स्वर्गवास होने के उपांत वर्णित उनकी खातेदारी की आराजीयात भूमि का विरासत से जो नामान्तकरण खोला गया उसमें प्रार्थी के नाम का इन्द्राज जमनालाल पुत्र कालुलाल कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमनाशंकर शर्मा पिता स्व. कालुराम शर्मा है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का होकर कम पढा लिखा व्यक्ति होकर केवल हस्ताक्षर करना जानता है। प्रार्थी भारतीय रेल्वे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवारत रहा तथा सन् 2010 में सेवानिवृत हुआ है। प्रार्थी के पहचान सम्बंधी समस्त राजकीय दस्तावेजो आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता इत्यादि में प्रार्थी के नाम का अंकन जमनाशंकर शर्मा पिता स्व. कालुराम शर्मा का ही अंकन किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की कालफम संख्या एक में वर्णित समस्त खातों में वर्णित आराजीयात भूमि में प्रार्थी के नाम का इन्द्राज जमनालाल पुत्र कालुलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार की दुरूस्ती की जाकर विधि एवं नियमानुसार वास्तविक एवं सही नाम जमनाशंकर शर्मा पिता स्व. कालुराम शर्मा जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार का इन्द्राज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षीगण द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि आर्थी के पिता एवं राजस्व रेकर्ड में आर्थी की बाल्यावस्था में ही उसके नाम का अंकन जमनालाल पिता कालुलाल किया गया है। हम विपक्षी के श्वसुर/दादाजी का स्वर्गवास सन् 1955 में हुआ तब आर्थी की उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी। आर्थी के पोते धर्मेन्द्र एवं हमारे रिश्तेदार द्वारा हमें इस बाबत् सूचित किया गया कि आर्थी के नाम का अंकन राजस्व रेकर्ड/हाल जमाबंदी में सहवन से जमनालाल पिता कालुलाल कर दिया गया है जबकि उनका वास्तविक नाम जमनाशंकर पिता स्व. कालुराम शर्मा है। अतः आर्थी द्वारा पेश आर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में आर्थी के नाम का अंकन जमनाशंकर शर्मा पिता स्व. कालुराम शर्मा जाति ब्राह्मण किया जाने बाबत् आदेश पारित किया जाता है तो हम विपक्षीगण को किसी भी प्रकार का उजर या ऐतराज नहीं है।

जवाब प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तर्कों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जमनालाल पिता स्व. कालुलाल शर्मा के बजाय जमनाशंकर पिता स्व. कालुराम शर्मा दर्ज कराने का कथन किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का सही नाम जमनाशंकर होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलबद्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता की सन् 1955 में मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण पारित करते समय प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जमनालाल पिता कालुलाल दर्ज कर दिया गया था, जबकि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजों में नाम जमनाशंकर पिता कालुराम दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में भी जमनाशंकर पिता कालुराम शर्मा दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 प्रार्थी के वर्णित सजरे को सही बताते हुए प्रार्थी के पिता स्व. कालुराम शर्मा को अपने श्वसुर/दादाजी की मृत्यु 1955 में होना स्वीकार कर प्रार्थी का नाम जमनालाल पिता स्व. कालुलाल शर्मा के बजाय जमनाशंकर पिता कालुराम शर्मा दर्ज किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड तथा भारतीय रेल्वे रिकार्ड में भी जमनाशंकर दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में जमनालाल दर्ज है, जिसे दुरूस्त किया जाकर जमनालाल पिता स्व. कालुलाल के बजाय जमनाशंकर पिता स्व. कालु राम दर्ज किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा की "परिशिष्ट–ए" खाता संख्या 489 आराजी संख्या 1115, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 289 किता 8 रकबा 0.2350 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–बी" खाता संख्या 490 आराजी संख्या 1334, 1335, 1336 किता 3 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–सी" खाता संख्या 491 आराजी संख्या 1141, 1142, 1147, 1157, 214, 216 किता 6 रकबा 0.1350 हैक्टेयर "परिशिष्ट–डी" खाता संख्या 492 आराजी संख्या 290 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–ई" खाता संख्या 46 आराजी संख्या 1095, 1096 किता 2 रकबा 0.0900 हैक्टेयर "परिशिष्ट–एफ" खाता संख्या 47 आराजी संख्या 1128, 1159 किता 2 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, "परिशिष्ट–जी" खाता संख्या 49 आराजी संख्या 1109, 1120, 1121, 1148, 1149, 1152, 1166, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1328, 1329, 1333, 1635, 1636, 1638, 1640, 1847, 1851, 1853, 1854, 1855, 208, 213, 225, 242, 246, 247, 249, 265, 285, 307, 308, 454, 455, 458, 740 किता 39 रकबा 2.8800 हैक्टेयर "परिशिष्ट–एच" खाता संख्या 13 आराजी संख्या 1108, 1116, 1165, 251 किता 4 रकबा 0.2050 हैक्टेयर "परिशिष्ट–आई" खाता संख्या 145 आराजी संख्या 1332, 215 किता 2 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम जमनालाल पुत्र कालुलाल के बजाय जमनाशंकर पिता कालुराम से इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गिर्वा तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ए. साई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर